संख्या-42/2015/वे0आ0-2-674/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2015

विषय- मा0 उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के धुलाई भत्ता में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के धुलाई भत्ता में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 18 जून, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 18 जून, 2015 का कार्यवृत संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-42/2015/वे0आ0-2-674(1)/दस-15-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) वित (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 18 जून, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18 जून, 2015 को सम्पन्न बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य।

(2) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव,कार्मिक विभाग — सदस्य।

(3) श्री अमरजीत त्रिपाठी, विशेष सचिव,न्याय विभाग — सदस्य।

(4) श्री अजय अग्रवाल,सचिव, वित्त विभाग — सदस्य सचिव।

2— मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित एजेन्डा के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के धुलाई भत्ता में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया । बैठक में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराया गया :—

(क) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुमन्य वर्दी धुलाई भत्ते में वृद्धि किये जाने का प्रकरण मुख्य सचिव समिति को निम्नानुसार संदर्भित किया गया :—

(i) रिड्रेसल कमेटी द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2015 की बैठक में मा0 उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनुमन्य धुलाई भत्ता रु0 40/— से बढाकर रु0 500/— किये जाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निम्न मत व्यक्त किया गया :—

The Committee emphasized that it is practically impossible for a Class-IV Employee to get his dress washed at the existing amount of Rs. 40/- The Committee is of the opinion that the Washing Allowance should be realistic and illusionary.

The Secertary (Finance) and the Special Secretary (Finance) have assued that the matter will be revisited .

(ii) उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग में विचारोपरान्त यह स्थिति सामने आयी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध होने के फलस्वरुप सभी विभागों के

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों वेतनमान एवं भत्तों आदि की एक समान व्यवस्था लागू की जाती है। अतः मा0 रिड्रेसल कमेटी के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर यदि मा0 उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी धुलाई भत्ते में वृद्धि की जाती है तो उसका प्रभाव प्रदेश के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर पड़ेगा। उक्त स्थिति में इस सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। अतः सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियॉ प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तद्नुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी धुलाई भत्ते में वृद्धि किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित किया गया।

(ख) उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नवत् है :—

(i) वेतन समिति (1997–99) द्वारा वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता के पुनरीक्षण/संशोधन के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ पर अर्धशासकीय पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2002 के अनुसार विभिन्न पदों पर पूर्व में अनुमन्य धुलाई भत्ता में डेढ से दोगुना तक की वृद्धि की गयी । तद्नुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पूर्व में रु0 12 /– प्रतिमाह की दर से अनुमन्य धुलाई भत्ता में वृद्धि करते हुए रु0 20/– प्रतिमाह की दर निर्धारित की गयी।

(ii) वेतन समिति (2008) द्वारा 16वें प्रतिवेदन में कतिपय भत्तों के साथ वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ की गयी। उक्त संस्तुतियों पर विचारोपरान्त अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 08 जुलाइ 2002 के निर्णय के अनुसार निर्धारित दरों में दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से दोगुना वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पूर्व में रु0 20 /– प्रतिमाह की दर से अनुमन्य धुलाई भत्ता में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से रु0 40/– प्रतिमाह की दर निर्धारित की गयी।

(iii) विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा वाहन

चालकों के अतिरिक्त गृह विभाग, कारागार विभाग, आबकारी विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग , विधान सभा/विधान परिषद् तथा राज्यपाल सचिवालय के कतिपय तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण भत्ता तथा वर्दी धुलाई भत्ता अनुमन्य कराने की व्यवस्था की गयी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी धुलाई भत्ते में संशोधन किये जाने की स्थिति में वाहन चालकों तथा उक्त विभागों के सम्बन्धित पदों पर अनुमन्य धुलाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भी विचार किया जाना अपेक्षित होगा।

3— उक्त परिदृश्य में विचारोपरान्त समिति द्वारा की गयी संवीक्षा तथा संस्तुतियॉ निम्नवत् है :—

समिति की संवीक्षा

(i) विभिन्न पदों पर पूर्व में अनुमन्य धुलाई भत्ता सहित वर्दी भत्ता तथा वर्दी नवीनीकरण भत्ता में दिनांक 01 नवम्बर, 2012 में वृद्धि की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुमन्य धुलाई भत्ता में वृद्धि किये जाने की स्थिति में सामान्य कोटि का संवर्ग होने के फलस्वरुप अन्य सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तथा अन्य पदों पर अनुमन्य धुलाई भत्ता में वृद्धि की जानी अपेक्षित होगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर अनुमन्य वर्दी भत्ता तथा वर्दी नवीनीकरण भत्ता में भी वृद्धि की मॉग आयेगी। इस प्रकार उक्त तीनों भत्तों में वृद्धि किये जाने पर विचार किया जाना होगा।

(ii) सातॅवा केन्द्रीय वेतन आयोग गठित है, जिसकी संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होगी। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यकता विचार किया जायेगा। तत्समय उक्त भत्तों के सम्बन्ध में भी विचार

किया जायेगा। उक्त परिदृश्य में चतुर्थ श्रेणी तथा अन्य श्रेणी के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य धुलाई भत्ता में वृद्धि किया जाना समुचित नहीं होगा। उक्त प्रकरण प्रदेश के अगले वेतन समिति/आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

समिति की संस्तुति

4— मा0 उच्च न्यायालय अथवा अन्य विभागों के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य धुलाई भत्ता में वृद्धि किये जाने की स्थिति नहीं है। उक्त पदों पर वर्तमान में रु0 40/— प्रतिमाह की दर से अनुमन्य धुलाई भत्ता को यथावत् बनाये रखा जाये। उक्त प्रकरण प्रदेश के अगले वेतन समिति/आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(राजीव कुमार)
सदस्य।

(अमरजीत त्रिपाठी)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 18 जून, 2015 ।

C.N-16 Dhara